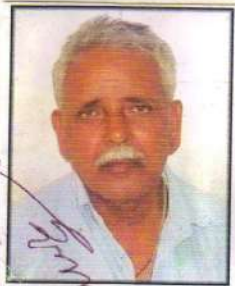


115382



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[1]



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| विक्रय मूल्य    | रु 10,00,000/- |
| मालियत          | रु 13,51,000/- |
| अनुबन्ध पत्र के |                |
| समय देय स्टाम्प | रु 20,000/-    |
| विक्रय पत्र के  |                |
| समय देय स्टाम्प | रु 75,000/-    |
| स्टाम्प शुल्क   | रु 95,000/-    |
| परगना           | लखनऊ           |

### लेखपत्र का विवरण

1. भूमि का प्रकार - आवासीय

*[Signature]*

*Ans Abbas*

बेनामा पत्र  
प्रमाणित किया गया कि विक्रय अनुबन्ध  
प्रलेख संख्या 8355/12  
स्टाम्प शुल्क रु 95,000/- इस  
विक्रय पत्र के सम्प्राप्ति किया गया।

उप नियन्त्रक द्वितीय  
लखनऊ

2/7/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 2 ]

- |    |                       |                                         |
|----|-----------------------|-----------------------------------------|
| 2. | परगना                 | - लखनऊ                                  |
| 3. | ग्राम                 | - सराय शेख, परगना, तहसील व जिला लखनऊ    |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण     | - एक किता भूखण्ड, खसरा संख्या 35 का भाग |
| 5. | मापन की इकाई          | - वर्ग मीटर                             |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - 180.066 वर्ग मीटर                     |

*Sumit*

*M. Abbas*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 3 ]

7. सड़क की स्थिति - सतरिख रोड पर स्थित है।  
8. अन्य विवरण - परिशिष्ट (क) 40 सतरिख रोड

चौहद्दी :-

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| पूरब   | जायदाद क्रेता                |
| पश्चिम | आराजी खसरा संख्या 34         |
| उत्तर  | आराजी खसरा संख्या 38         |
| दक्षिण | सतरिख रोड प्रस्तावित 30 मीटर |

*[Signature]*

*Mr. Abbas*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 4 ]

प्रथम पक्ष की संख्या (एक)

द्वितीय पक्ष की संख्या (एक)

विक्रेता/प्रथम पक्ष का विवरण

राम सहाय सिंह पुत्र श्री लालता सिंह, निवासी-946ए, एच0ए0एल0,  
फैजाबाद रोड, जिला-लखनऊ (उ0प्र0)

क्रेता/द्वितीय पक्ष का विवरण

डैगनएज रियलटर्स प्रा0 लि0 द्वारा एम0डी0 आरिज अब्बास पुत्र  
एस0एम0ए0 रिजवी कार्यालय 125 लेखराज खजाना, फैजाबाद रोड,  
लखनऊ (उ0प्र0)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 604630

12 JUN 20

[5]

### विक्रय विलेख

जो कि प्रथम पक्ष/विक्रेता एक किता भूखण्ड, खसरा संख्या 35 का भाग, कुल रकबा 0.036 हे० का 1/2 भाग यानि 0.018 हे० यानि 1937.52 वर्गफिट अर्थात 180.066 वर्गमीटर, स्थित ग्राम सराय शेख, परगना, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज हैं। उक्त आराजी को विक्रेता ने जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 18/04/2006 को क्रय किया था जो बही सं० 1, जिल्द सं० 5684, पृष्ठ सं० 315/332, क्रमांक 3390 पर कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय, लखनऊ के यहां पंजीकृत है।

*[Signature]*

*Amir Abbas*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 6 ]

यह कि उपरोक्त आराजी पूर्ण रूप से आज तक विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है। उक्त आराजी हर प्रकार के विवादों व भारों रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है, जिसे विक्रय आदि करने का प्रथम पक्ष/विक्रेता को कानूनी व मालिकाना हक प्राप्त है। चूंकि प्रथम पक्ष/विक्रेता को रूपयों की आवश्यकता है। अतः अब

*[Signature]*

*Abbas*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[7]

उक्त आराजी को पूर्ण होशो-हवास में बकीमत मुबलिंग 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) जिसके आधे मुबलिंग 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) होते हैं, में बदस्त द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त को कतई बय फरोख्त किया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से अन्त में दिए गए विवरण के अनुसार वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना हक अपने ही समान क्रेतागण को उक्त भूखण्ड पर बखूबी करा दिया। अब हमारा या हमारे वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा

*[Signature]*

*Anis Abbas*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 8 ]

बावत भूखण्ड बयशुदा या जरसमन के खरीदार से किसी भी किस्म से बाकी नहीं रहा। यदि कोई शख्स निस्बत भूखण्ड बयशुदा के अपना हक या हिस्सा जतावे या दावा करे तो दावा उसका बरूये तहरीर बैनामा हाजा बातिल व नाजायज होवे। यदि किसी दीगर शख्स की दावेदारी, उज्रदारी या हकदारी से आराजी बयशुदा का कुल या जुज भाग द्वितीय पक्ष/क्रेता से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले या मिलकियत या

*[Signature]*

*[Signature: Mr. Abbas]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 9 ]

हकीयत हम प्रथम पक्ष/विक्रेता की करार न पाई जावे या अन्य कोई कानूनी विवाद निकले तो द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक होगा कि वह अपना कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान वगैरह, विक्रेता से या उसकी दीगर जायदाद चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे मुझे कोई उज्र न होगा। बयशुदा आराजी का नामान्तरण द्वितीय पक्ष/क्रेता समस्त सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों में अपने नाम अंकित करा लेवें, विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

*[Signature]*

*[Signature]*  
n



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 10 ]

बयशुदा भूखण्ड की सरकारी मालियत जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा परिशिष्ट 'क' (40) में मुबलिंग 7,500/- रूपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उपरोक्त बिक्रीत भूखण्ड 180.066 वर्ग मीटर की मालियत मुबलिंग 13,51,000/- रूपया होती है। जिस पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से मुबलिंग 95,000/- रूपये का जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

*[Signature]*

*[Signature: Mr. Abbas]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 11 ]

विदित हो कि विक्रेता एवं क्रेता के मध्य दिनांक 11/05/2012 को एक अनुबन्ध पत्र पंजीकृत किया गया है जो पुस्तक संख्या 1, जिल्द 12504 के पेज 343/356 पर क्रमांक 8388 पर कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय, लखनऊ के यहां पंजीकृत है, जिसमें रुपये 20,000/- का स्टाम्प अदा किया जा चुका है तथा शेष रुपये 75,000/- का स्टाम्प इस विलेख के द्वारा अदा किया जा रहा है। इस प्रकार क्रेता द्वारा रुपये 95,000/- का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

*[Signature]*

*[Signature: Mr. Abbas]*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 12 ]

भूखण्ड बयशुदा मुख्य मार्ग सतरिख रोड पर स्थित है। उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। बयशुदा भूखण्ड कार्नर पर स्थित नहीं है। जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है। उक्त सम्पत्ति 30प्र0 आवास विकास परिषद एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त विलेख विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त विलेख में कोई भी त्रुटि पायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता एवं क्रेता की होगी।

*Sumit*

*Abbas*



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 13 ]

लिहाजा खूब सोच व समझकर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्ती होशो हवास में यह विक्रय पत्र तैयार करवाकर, बखूबी पढ़ व समझकर हस्ताक्षर कर दिये और गवाहानों ने भी अपने-अपने हस्ताक्षर किए, ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

*[Signature]*

*[Signature: Mr. Abbas]*

क्रमांक 2526  
स्थापन दिनांक 21-7-11  
स्थापन क्रमांक 2526  
स्थापन क्रमांक का नाम व पूरा पता  
स्थापन की समस्या

एच.के. पाण्डेय  
लाइसेंस नं. 22  
साइसेल की अवधि 31-3-2015  
कलेक्टर कार्यालय, लखनऊ

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

### विक्रय पत्र

1,000,000.00 / 1,351,000.00

10,000.00 20 10,020.00 1,000  
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत  
श्री राम सहाय सिंह  
पुत्र श्री लालता सिंह

व्यवसाय सेवानिवृत्त

निवासी स्थायी 946 एच0ए0एल0 फैजाबाद रोड लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/7/2012 समय 4:54PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच.के. पाण्डेय  
उप-निबन्धक (द्वितीय)  
लखनऊ  
2/7/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता क्रेता

श्री राम सहाय सिंह  
पुत्र श्री लालता सिंह  
पेशा सेवानिवृत्त  
निवासी 946 एच0ए0एल0 फैजाबाद रोड लखनऊ

श्री डैगनएज रि0प्रा0लि0 द्वारा एम0डी0 आरिज  
अब्बास  
पुत्र श्री एस0 एम0 ए0 रिजवी  
पेशा व्यापार  
निवासी 125 लेखराज खजाना फैजाबाद रोड लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री मो0 जुबैर

पुत्र श्री मो0 हारून

पेशा व्यापार

निवासी अमराई गांव इन्दिरा नगर लखनऊ

व श्री गौरव सिंह

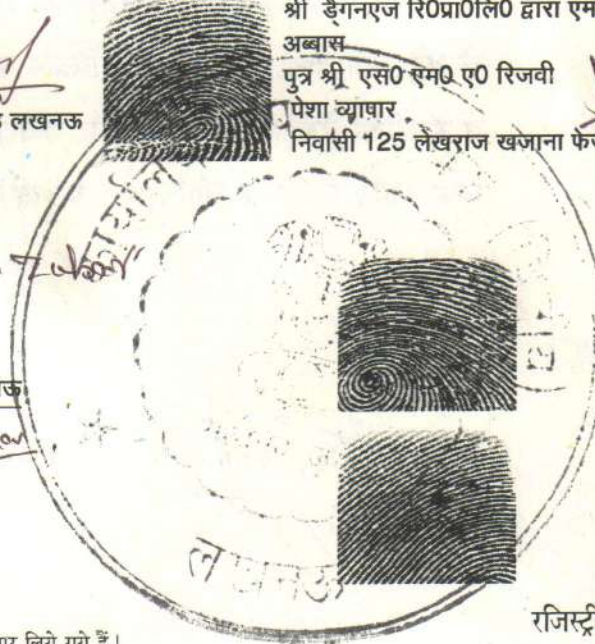
पुत्र श्री राम सहाय

पेशा व्यापार

निवासी फैजाबाद रोड लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच.के. पाण्डेय  
उप-निबन्धक (द्वितीय)  
लखनऊ  
2/7/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



[ 14 ]

### तफसील वसूलयाबी कुल जरसमन

1. विक्रेता ने क्रेता से रुपये 1,70,000/- जरिये चेक संख्या 230103, दिनांक 11/05/2012, एसबीआई, शाखा चारबाग, लखनऊ द्वारा प्राप्त किये।
2. विक्रेता ने क्रेता से रुपये 8,00,000/- जरिये चेक संख्या 230104, दिनांक 15/05/2012, एसबीआई, शाखा चारबाग, लखनऊ द्वारा प्राप्त किये।
3. विक्रेता ने क्रेता से रुपये 30,000/- पूर्व में प्राप्त किये।

उपरोक्तानुसार विक्रेता ने क्रेता से समस्त धनराशि प्राप्त

.....  
 तटस्थ की अनुराधि

ए० ए० ए०

तकाले २२

लाइसेंस नं. 22  
लाइसेंस की अवधि-31-3-2015  
कलेक्टर कार्यालय, मन्सूरगढ़

कालेक्लेड कोर्ट मसलत





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



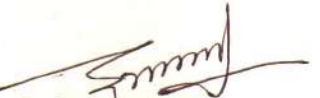
[ 15 ]

कर ली है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

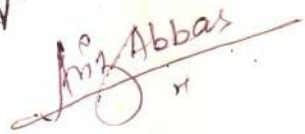
लखनऊ। दिनांक : 02.07.2012 ई०

गवाहान :-

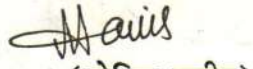
1. गौरी बाला देवी  
हाल में लखनऊ में  
लाखनऊ

  
विक्रेता/प्रथम पक्ष

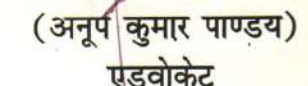
2. गौरी बाला देवी  
हाल में लखनऊ में  
लाखनऊ

  
विक्रेता/द्वितीय पक्ष

टाइपकर्ता :-

  
(मोनिस फरीद)

मसविदाकर्ता :-

  
(अनूप कुमार पाण्डेय)  
एडवोकेट  
सदर तहसील, लखनऊ

क्रमांक १५२५  
 स्टाम्प विक्रय की राशि २१,०००/-  
 स्टाम्प प्राप्त करने का प्रमाण  
 स्टाम्प क्रेता का नाम ३ ५० ०००  
 स्टाम्प की मर्यादा  
 ए० ए० ए०  
 लाइसेंस नंबर-२२  
 लाइसेंस की अवधि-३१-३-२०१५  
 कलेक्टर ऑफ़, लखनऊ

डैगन एज रिजर्विटी

क्रेता

Registration No. : 11538

Year : 2,012

Book No. : 1

0201 डैगन एज रि०प्रा०लि० द्वारा एम०डी० आरिज अब्बास  
 एस० एम० ए० रिजवी  
 125 लेखराज खजाना फेजाबाद रोड लखनऊ  
 व्यापार



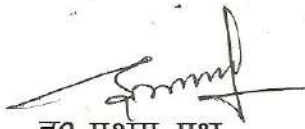
## मानचित्र भूखण्ड

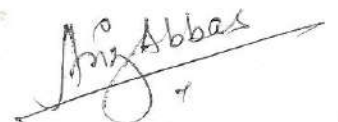
एक किता भूखण्ड, खसरा संख्या 35 का भाग, कुल रकबा 0.036हे० का 1/2 भाग यानि 0.018हे० यानि 1937.52 वर्गफिट अर्थात 180.066 वर्गमीटर, स्थित ग्राम सराय शेख, परगना, तहसील व जिला लखनऊ

चौहद्दी :-

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| पूरब   | जायदाद केला                  |
| पश्चिम | आराजी खसरा संख्या 34         |
| उत्तर  | आराजी खसरा संख्या 38         |
| दक्षिण | सतरिख रोड प्रस्तावित 30 मीटर |

180.066 वर्ग मीटर

  
ह० प्रथम पक्ष

  
ह० द्वितीय पक्ष

आज दिनांक 02/07/2012 को  
वही सं. 1 जिल्द सं. 12721  
पृष्ठ सं. 73 से 104 पर क्रमांक 11538  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच.के.पाण्डेय  
उप-निबन्धक (द्वितीय)  
लखनऊ  
2/7/2012

